

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2461-दो/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 29-12-12 पारित
द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सतना प्रकरण क्रमांक 103/निगरानी/2011-12.

- 1-- कैलाश चन्द जैन तगय स्व. श्री मदनलाल जैन
2-- कुशुभलता जैन पत्नी श्री कैलाशचन्द जैन
दोनों निवासी पुराना पावर हाउस के पास सतना,
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

— — — ३ वदेकगण

विरुद्ध

- 1-- नरेश कुमार
2-- महेश कुमार
3-- राजेश कुमार
तीनों के पिता स्व. श्री मदनलाल जैन
निवासी पुराना पावर हाउस के पास सतना,
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

— — — अनावेदकगण

श्री अनूप देव पाण्डे, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री बृजेश पाण्डेय, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

॥ आदेश ॥

(आज दिनांक १६.०६.२०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/निग./11-12 में
पारित आदेश दिनांक 29-12-12 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जेसे आगे
संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2-- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा नायब तहसील दार, वृत्त
रैगांव के प्रकरण क्रमांक 101/अ-6/06-07 में पारित आदेश दिनांक 30-9-09 रो रो
परिवेदित होकर संहिता की धारा 44 (1) के तहत अपील अनुचिभागीय अधिकार के राग्रह
पेश की जो उहोंने आदेश दिनांक 12-7-11 द्वारा निरस्त की । इस आदेश ने विरुद्ध
आवेदकों ने अधीनरथ न्यायालय में निगरानी दिनांक 6-8-11 को पेश की । उक्ता

निगरानी दिनांक 20-1-12 को अदम पैरवी में निरस्त हुई । जिसके पुर्णस्थापन हेतु आवेदकों द्वारा दिनांक 31-3-12 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर आचारण के दौरान अनावेदक द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति की गई । उक्त आपत्ति पर उभयपक्ष के तर्क सुनने के उपरांत अपर कलेक्टर ने संहिता में हुए संशोधन दिनांक 30-12-11 के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई की अधिकारिता न होने से आलोच्य आदेश दिनांक 29-12-12 द्वारा निगरानी अस्वीकार की है । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3— प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

4— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उठाये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अपर कलेक्टर आलोच्य आदेश के द्वारा विचाराधिकार न होने के आधार पर आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण को अस्वीकार किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अभिलेख को देखने से यह स्थिति प्रकट होती है कि आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12-7-11 के विरुद्ध उनके समक्ष निगरानी 6-8-11 को अर्थात् संहिता में हुए संशोधन दिनांक 30-12-11 के पूर्द ही प्रस्तुत की जा चुकी थी । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी में विचार करने हेतु सक्षम थे और उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह संहिता में हुए संशोधन के अनुरूप नहीं है । अतः अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा उनके समक्ष प्रस्तुत पुर्णस्थापन आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक 104/निग0/11-12 का निराकरण उभयपक्षों द्वारा सुनकर विधिवत् गुणदोष पर करें ।

उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।


 (एम० कै० सिंह)
 सदस्य

राजरव मंडल, मध्यप्रदेश
 गवालियर